



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1940 (श0)  
(सं0 पटना 753) पटना, सोमवार, 6 अगस्त 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2018

अधिसूचना संख्या 22/2018-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 220, दिनांक 6 अगस्त 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 08/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या-551, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या 12/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2018, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या-621, दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, "30 सितम्बर, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 2019" रखा जायेगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-22)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 अगस्त 2018

एस0ओ0 220 दिनांक 6 अगस्त 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-22)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

---

*The 6<sup>th</sup> August 2018***Notification no. 22/2018- State Tax (Rate)**

S.O. 220, Date 6<sup>th</sup> August 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification No.8/2017 – State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 551, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, and last amended vide notification No.12/2018-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 621, dated the 29<sup>th</sup> June, 2018, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “30<sup>th</sup> day of September, 2018”, the figures, letters and words “30<sup>th</sup> day of September, 2019” shall be substituted.

2. This Notification shall come into force with effect from 6<sup>th</sup> August, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3)-22)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

*Commissioner-cum-Secretary,*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 753-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>